न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेडा जिला–भीलवाड़ा (राज0)

केम्प ज्ञानगढ

पीठासीन अधिकारीः–रजनी माधीवाल, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–69/2018 प्रार्थना पत्र

1. राघवेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह राजपुत निवासी ज्ञानगढ़ तह. करेड़ा

---प्रार्थी

वनाम

1. उपवन संरक्षक, वन विभाग, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा

---विपक्षी

प्रार्थना पत्र बावत अंतर्गत धारा 251–ए राज.टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः–

1– श्री ताराचन्द जैन – अधिवक्ता–प्रार्थी
2– – अधिवक्ता–विपक्षी

:: निर्णय :: दिनांकः– 15.05.2018

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0का0अधिनियम विरूद्ध विपक्षी पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को उजरदारी पेश करने हेतु न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया। सम्मन बाद तामील शामिल मिसल है।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर ज्ञानगढ पर पेश हुई। विपक्षी उपवन संरक्षक, वन विभाग, शास्त्री नगर भीलवाड़ा द्वारा पेश जवाब अनुसार प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर खनन व्यवसाय हेतु रास्ता चाहा गया है जिस हेतु प्रार्थी द्वारा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया जो नियम व विधि विरूद्ध होने से नहीं दिया गया तथा वन सरंक्षक अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि में से रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। पत्रावली के अवलोकन तथा विपक्षी उपवन संरक्षक के प्रत्युत्तर पर चिंतन एव मनन किया वन सरंक्षक अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि में से रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतएव

आदेश

उपवन संरक्षक, वन विभाग, शास्त्रीनगर द्वारा पेश जबाव वन सरंक्षक अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि में से रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को विवृत कैम्प स्थल पर सुनाया गया।

(रजनी माधीवाल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा

Scanned by CamScanner